

क्रमांक :- 431

दिनांक :- 18/6/19

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

होफ, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- F-14 ()2018/FCA/PCCF/EDS-1 dated 11.02.2019 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road

यूजर एजेन्सी का नाम :- Public Works Department, Jhalawar

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 0.52 Hac.

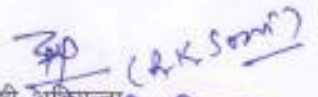
प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Jhalawar District and Jhalawar territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/38372/2019 22.01.2019

A-3 Details of person making application	1. यूजर एजेन्सी द्वारा अधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति साफ नहीं होने के कारण पढ़ने योग्य नहीं है। 2. ऑनलाइन प्रस्ताव में आवेदक का नाम सूर्य प्रकाश गोयल अंकित है जबकि हस्ताक्षर दामोदर प्रसाद अग्रवाल के हैं अतः उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	1. सही प्रति संलग्न कर दी गई है। 2. नाम संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
B- Details of land required for forest	1. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में एक प्रस्ताव जिसमें रीढ़ान्तिक स्वीकृति 3.3.2005 को आना अंकित की गई है इसकी विधिवत स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण का स्पष्टीकरण दिया जाना प्रस्तावित है।	1. उक्त प्रस्ताव कोलाना हवाई पट्टी के 9.41 हेक्टर का था जिसे कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार के प्रस्ताव में सम्मिलित कर ली गई है।
C maps of forest land proposed to be diverted	1. यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न डी.जी.पी.एस. मैप के स्थान पर राजस्व मानचित्र संलग्न किया गया है जबकि इसमें डी.जी.पी.एस. मैप जिसमें प्रस्तावित सड़क के प्रवेश एवं निकास के चेनेएज संख्या अंकित किये जाने प्रस्तावित है।	1. डी.जी.पी.एस. मैप जिसमें प्रस्तावित सड़क प्रवेश एवं निकास के चेनेएज संख्या अंकित कर दी गई है।
D- Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined	1. यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता एवं उसके विभिन्न विकल्पों का परीक्षण को डिजिटल मानचित्र में संलग्न नहीं किया गया है।	1. संलग्न कर दिया गया है।

Additional information Details	1. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत संलग्न नहीं। 2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3. जमाबंदी एवं खसरा मैप पर प्रस्तावित सड़क को मार्क कर संलग्न नहीं किया गया है। 4. प्रस्ताव में दस्तावेजों पर आवेदित (वचनवद्धताओं आदि) वन क्षेत्र एवं दिनांक अंकित नहीं है।	1. संलग्न कर दिया गया है। 2. संलग्न कर दिया गया है। 3. संलग्न कर दिया गया है 4. वन क्षेत्र एवं दिनांक अंकित कर दी गई है।
-----------------------------------	---	---

अतः उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाये जाने हेतु यूजर एजेंसी को निर्देशित किया जाता है।


 अधिशाही अभियन्ता
 सा.नि.वि.०नि.०वि.० खण्ड
 झालावाड़
 खण्ड, झालावाड़